Details of waqf properties under encroachment/Illegal possession.

7. Sh. Mamman Khan, MLA:- Will the Chief Minister be pleased to State:

(a) The details of total properties, under encroachment/illegal possession in district Gurugram, Nuh and other parts of the State together with the defaulter lessee's names along with the complete details such as expiry dated of lease;

(b) The steps taken by the Government to remove the encroachment/illegal possession of defaulter lessee's from the above said properties;

(c) The time by which these properties are likely to be freed from encroachment /illegal possession; and

(d) The district wise list of the mosques which are in illegal possession of the private individuals, Government, Semi Government or religious institutions in State?

MANOHAR LAL, CHIEF MINISTER, HARYANA

Sir,

(a) The list of properties which are owned by the Haryana Waqf Board is enumerated in Gazette notification time to time. On the basis of physical survey being conducted by the Revenue Department, Government of Haryana, the list is updated on regular basis. Similarly, the encroachment/illegal possession can be ascertained after the physical verification of the waqf properties. As per physical verification conducted during year 2009, 192 waqf properties were found under illegal possession of Government/Semi Government Agencies. Apart from this, 710 waqf properties were found under encroachment of Private Individuals. Once the physical survey is completed actual number of properties under encroachment/illegal possession can be ascertained. List enclosed as Annexure-A-1 to A-22.

(b) 1. In order to remove encroachment/illegal possession, the Govt. of Haryana had issued directions to all the Heads of the concerned departments of Govt./Semi Govt. asking them either to vacate the waqf property under their illegal possession or get it on lease from Haryana Waqf Board vide Memo No. 18/31/2009-3JJ(1), dated 27.11.2009 and again vide Memo No. 18/31/2009-3JJ(1), dated 08.06.2012 and 27.04.2015 (copies enclosed).

2. Many of the lessees have not paid the lease money and not got their leases renewed/extended from the Waqf Board inspite of repeated reminders. As on 25.11.2022, there are 12436 lessees who are defaulters of lease conditions and hence, are in the encroachment/illegal possession of waqf properties. List enclosed as Annexure-B-1 to B-22.

Contd...2/-

3. The Haryana Waqf Board is taking legal action against all such illegal occupants/defaulter lessees/encroachers as per provisions provided in The Waqf Act, 1995 and Transfer of Property Act, 1882, before the Waqf Tribunal.

(c) There is a set procedure as laid in the Waqf Act, 1995 and Transfer of Property Act, 1882, to remove the illegal encroachment. Since there is judicial process, so it is not possible to give time frame by which these properties could be freed from encroachment.

(d) There are 1089 Mosques which are under illegal possession of private individuals, Government, Semi Government or religious institutions in the State. The list is enclosed as Annexure C-1 to C-22.

अतिक्रमण/अवैध कब्जे वाली वक्फ सम्पत्तियों का विवरण

7. श्री मम्मन खान, माननीय विधायकः क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जिला गुरूग्राम, नूंह और राज्य के अन्य हिस्सों मे अतिक्रमण/अवैध कब्जे के तहत कुल सम्पत्तियों का विवरण डिफाल्टर पट्टेदारों के नाम के साथ–साथ पूर्ण विवरण जैसे कि पट्टे की समाप्ति तिथि;

(ख) उपरोक्त सम्पत्तियों से डिफाल्टर पट्टेदारों के अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटवाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम;

(ग) कब तक इन सम्पत्तियों को अतिक्रमण/अवैध कब्जे से मुक्त किए जाने की सम्भावना है, तथा;

(घ) राज्य मे निजी व्यक्तियों, सरकारी, अर्ध–सरकारी या धार्मिक संस्थानों के अवैध कब्जे वाली मस्जिदों की जिलेवार सूची;

मनोहर लाल, मुख्य मंत्री, हरियाणा

श्रीमान जी,

(क) हरियाणा वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली सम्पत्तियों की सूची समय–समय पर राजपत्र अधिसूचना मे दी जाती है। राजस्व विभाग हरियाणा सरकार द्वारा किए जा रहे भौतिक सर्वेक्षण के आधार पर सूची को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। इसी प्रकार वक्फ सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन के बाद अतिक्रमण/अवैध कब्जे का पता लगाया जा सकता है। वर्ष 2009 के दौरान किए गए भौतिक सत्यापन के अनुसार 192 वक्फ सम्पत्तियां सरकारी/अर्ध सरकारी एजेंसियों के अवैध कब्जे मे पाई गई। इसके अतिरिक्त 710 सम्पत्तियां निजी व्यक्तियों के कब्जे मे है। एक बार भौतिक सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद अतिक्रमण/अवैध कब्जे के तहत सम्पत्तियों की वास्तविक संख्या का पता लगाया जा सकेगा। सूची अनुलग्नक–ए–1 से ए–22 के रूप मे संलग्न है।

(ख) 1. सरकार द्वारा अतिक्रमण/अवैध कब्जे हो हटाने के लिए हरियाणा सरकार ने अपने मेमो क्रमांक 18/31/2009–3जे.जे.(1), दिनांक 27.11.2009 तथा पुनः मेमो क्रमांक 18/31/2009–3जे.जे.(1), दिनांक 08.06.2012 और 27.4.2015 द्वारा सरकारी/अर्ध–सरकारी विभाग के सभी विभागध्यक्षों को निर्देश जारी किए कि या तो वे अपने विभाग के तहत कब्जाई गई वक्फ सम्पत्तियों को खाली कर दें या फिर बोर्ड के किरायेदार/पट्टेदार बन जाए (छायाप्रति संलग्न)।

2. कईं किरायेदारों ने बोर्ड के बार–बार स्मरण कराने के बावजूद भी अपनी लीज का नवीनीकरण नही करवाया है ओर न ही लीज राशि जमा करवाई है। दिनांक 25.11.2022 तक 12436 ऐसे किरायेदार हैं जो लीज की शर्तों के डिफाल्टर हैं और इसलिए वक्फ सम्पत्तियों पर अवैध रूप से काबिज है। सूची अनुलग्नक–बी–1 से बी–22 के रूप मे संलग्न है।

जारी...2/–

3. हरियाणा वक्फ बोर्ड ऐसे सभी डिफाल्टर/लीजधारकों के खिलाफ वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष (1) वक्फ अधिनियम, 1995 व ट्रांसफर ऑफ प्रोप्रटी ऐक्ट, 1882 के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्यवाही कर रहा है।

(ग) अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 के प्रावधान और ट्रांसफर ऑफ प्रोप्रटी ऐक्ट, 1882 के अनुसार एक निर्धारित प्रक्रिया है। चूंकि यह न्यायिक प्रक्रिया है इसलिए समय सीमा बता पाना सम्भव नही है। जिससे इन सम्पत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा सके।

(घ) राज्य मे 1018 ऐसी मस्जिदें है जो निजी व्यक्तियों, सरकारी, अर्ध–सरकारी तथा धार्मिक संस्थानो के अवैध कब्जे मे हैं। जिनकी सूची अनुलग्नक–सी–1 से सी–22 के रूप मे संलग्न है।